

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ २११ /2024 दिनांक : २०.12.2024

श्रीमती कनिष्का यादव (RJ01450), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु को दिनांक 02.01.2025 से 16.01.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.01.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती यादव की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/07/2021/ 10636

दिनांक : २०.12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 10509 दिनांक 13.12.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कनिष्का यादव (RJ01450), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु।


सहायक रजिस्ट्रार